

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in रो भी खाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 290]

भोपाल, मंगलवार, विनांक ३१ गई २०२२-ज्येष्ठ १०, शक १९४४

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग

पंचम तल, मेट्रो प्लाजा, विट्टन मार्कंट, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भौपाल-462016

भोपाल, दिनांक 31 मई 2022

क्रमांक— 1165 / मप्रविनिआ / 2022, विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक, 36, वर्ष 2003) की धारा 181 सहपठित धारा 45(3)(ख) एवं 46 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग एतद् द्वारा समय—समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाइन प्रदान करने अथवा उपयोग किये संयन्त्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) विनियम, (पुनरीक्षण—प्रथम), 2009 को पुनरीक्षित करता है:



- अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अपनी वेबसाइट पर अनुज्ञप्तिप्राप्त (लाइसेंसधारी) ठेकंदाराँ की सूची प्रदर्शित की जाएगी।
- 4.1.3 अनुज्ञप्तिधारी अपनी रवेच्छानुसार सेवा तन्तुपथ (सर्विस लाइन), अर्थात संयोजन प्रदानकरने हेतु, संवाहक (कण्डक्टर)/केबल/भूमिगत केबल का प्रकार विनिर्दिष्ट करेगा। सामान्यतः, इस प्रकार के सेवा—तन्तुपथ (सर्विस लाइन) की लम्बाई 20 मीटर से अधिक न होगी, तथापि, अनुज्ञप्तिधारी अपनी रवेच्छानुसार ऐसे घरेलू संयोजनों हेतु 45 मीटर तक की अनुमित प्रदान करसकेगा बशर्ते यह कि उपभोक्ता/आवेदक ऐसे सेवा तन्तुपथ में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विनिर्दिष्ट उच्यतर व्यास का सेवा तन्तुपथ उपयोग करने की सहमित प्रदान करे।
- 4.1.4 वितरण अनुज्ञप्तिधारी को किसी वैयक्तिक घरेलू उपमोक्ता से (केवल उन्हें छोड़कर जो बहु—उपभोक्ता संकुल (कॉम्पलेक्स) या आधासीय कॉलोनी में अवस्थित हैं) निम्नांकित प्रभारों की वसूली की पात्रता निम्न दाव लाइन की लागत, वितरण ट्रांसफार्मर तथा उच्च दाव लाइन की लागत जैसा कि इसे उपरोक्त विनियमों 4.1.1, 4.1.2 तथा 4.1.3 में विनिर्दिष्ट किया गया है, के अतिरिक्त विद्युत प्रभारों के रूप में वसूल करने की पात्रता होगी:

सरल क्रमांक	प्राक्कलित संयोजित भार	सेवा तन्तुपथ (सर्विस लाइन) की लागत पर विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभार, पर्यवेक्षण प्रभारों को सम्मिलित करते हुए
एक.	गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के उपभोक्ता जिनके प्राक्कलित भार 500 वॉट तक के हैं।	रू. 10 ∕ −
दो. .।	3 किलोवॉट (एकल फेज) तक के समस्त उपभोक्ता, उपरोक्त (1) में दर्शाये गये उपभोक्ताओं को असम्मिलित कर	रू. 340/- प्रति किलोवाट अथवा उसका कोई अंश
तीन. i	3 किलोवॉट (तीनफेज)से अधिक परन्तु 10 किलोवॉट से अनाधिक	रू. 1000 / — में रू. 1000 / — प्रति अतिरिक्त किलोवाट अथवा उसके, किसी अंश हेतु जिसके अनुसार भार तीन किलोवाट से अधिक हों
चार.	10 किलोवॉट से अधिक परन्तु 25 किलोवॉट से अनाधिक	रू. 8080+ रु. 2520 प्रति अतिरिक्त किलोवाट अथवा उसका कोई अंश जिसके अनुसार मार 10 किलोवाट से अधिक हो
पांत्व.	25 किलोवॉट से अधिक परन्तु 50 किलोवॉट से अनाधिक	रू. 46,000/- + रु. 4,200/- प्रति अतिरिक्त किलोवाट अथव उसका कोई अंश जिसके अनुसार भार 25 किलोवाट से अधिक हो



परन्तु यह और कि विद्युत वाहन प्रभारण केन्द्रों हेतु 50 किलोवाट से परे विद्यमान संयोजित भार में वृद्धि के लिये ट्रांसफार्मर की अतिरिक्त क्षमता कानिर्माण किया जाएगा तथा इसकी लागत आवेदक(i) द्वारा वहन की जाएगी ।

उपमोक्ताओं / आवेदकों के लिए यह विकल्प होगा कि वे वांछित उच्च दाब तन्तुपथ विस्तार की स्थापना का कार्य स्वयं अनुज्ञप्तिप्राप्त ठेकेदार के माध्यम से अनुज्ञप्तिधारी की विशिष्टियों (स्पेसीफिकेशन्स) के अनुसार प्रचलित दर अनुसूची (करंट शेड्यूल आफ रेट्स) के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्राक्कलित कार्य की लागत के 5 प्रितिशत की दर से पर्यवेक्षण प्रभारों के भुगतान द्वारा सम्पन्न करें।

- 4.2.5 उपमौक्ता/आवेदक को सेवा तन्तुपथ (सर्विस लाइन) प्रदाय हेतु किये गये व्यय स्वयं वहन करने होंगे। उपमोक्ताओं / आवेदकों को वांछित सेवा तन्तुपथ (सर्विस लाइन) को स्वयं द्वारा या फिर अनुज्ञिष्तिधारी द्वारा प्रचलित दर—अनुसूची के अनुसार प्राक्कलित अनुमानित लागत के 5 प्रतिशत पर्यवेक्षण प्रभारों के भुगतान द्वारा स्थापित किये जाने का विकल्प होगा। यैकल्पिक तौर पर, कार्य का निष्पादन अनुज्ञिष्तिधारी द्वारा स्वयं भी कराया जा सकता है जिसके लिये उपमोक्ता/आवेदक को प्रयोज्य प्रभारों का अग्रिम भुगतान करना होगा। उपमोक्ताओं / आवेदकों के त्विरत संदर्भ हेतु अनुज्ञिष्तिधारी द्वारा अपनी वेबसाइट पर अनुज्ञिष्तिग्राप्त (लाइसेंसधारी) ठेकेदारों की सूची प्रदर्शित की जाएगी।
- 4.2.8 विंतरण अनुज्ञप्तिधारी वैयक्तिक गैर-धरेलू, औद्योगिक उपभोक्ता,विद्युत वाहर्न प्रभारण केन्द्रों तथा अन्य निम्न दाव उपभोक्ता जिन्हें अन्यत्र सम्मिलित नहीं किया गया है, से विनियम 4. 2.3, 4.2.4 तथा 4.2.5 में विनिर्दिष्ट प्रयोज्य प्रभारों तथा अधोसंरचना लागत के अतिरिक्त विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभारों के रूप में निम्न प्रभारों की वसूली हेतु प्राधिकृत होगा :

सरल क्रगांक	मांग किया गया संयोजित भार	उपभोक्ताओं से वसूली योग्य विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभार, सेवा तन्तुपथ की लागत पर पर्यवेक्षण प्रभारों को सम्मिलित कर
एक.	3 किलोवॉट (एकल फेज) तक	रू. 500 प्रति किलोवाट अथवा उसका कोई अंश
दो.	3 किलोवॉट (तीनफेज)से अधिक परन्तु 19 किलोवॉट से अनाधिक	
तीन.	10 किलोवॉट से अधिक परन्तु 25 किलोवॉट से अनाधिक	
चार.	25 किलोवॉट से अधिक परन्तु 100 किलोवाट से अनाविक	रू. 69000+ रु. 6300 प्रति अतिरिक्त किलोवाट अथवा उसका कोई अंश जिसके अनुसार मार 25 किलोवाट से अधिक हो
पांच.	100 किलोगॅट से अधिक	रू. 6900+ रु. 630 प्रति अतिरिक्त किलोवाट अथवा उसका कोई अंश जिसके अनुसार भार 100 किलोवाट से अधिक हो (अधोसरंचना के अतिरिक्त लागत आवेदक द्वारा वहुन-की जाएगी)

4.2.7 गैर-घरेलू बहु-उपमोक्ता संकुल (कॉम्पलेक्स)/शॉपिंग मॉल को विद्युत प्रदाय हेतु आवेदक(i) को वितरण ट्रांसफार्मर उपकेन्द्र(i) तक प्रवेशी उच्च दाब तन्तुपथं तथा उपमोक्ता के वितरण प्रसंवाही (डिस्ट्रीब्यूशन मेन्स) तक निम्न दाब तन्तुपथों (लाइनों) / केंबलों की लागत वहन करनी होगी।

[19]

तेरह. अनाद्रित चेक (Dishonoured Cheque) हेतु प्रभार

निम्न के संबंध में अनादरित चेक पर प्रभार	(रूपये प्रति चेक)
(एक) निम्न दाबं उपभोक्ता	₹ 150
(एक) निम्न दाब उपभोक्ता (दो) अति उच्च दाब/उच्च दाब उपभोक्ता	板 1,000

चौदह. सेवा के नामांतरण हेत् प्रभार

उपभोक्ता श्रेणी	(रूपेये)	
निम्न दाब उपभोक्ता	ক 170	
उच्च दाब उपभोक्ता	₹ 3,360	

पन्द्रह. अति उच्च दाब/उच्च दाब/निम्न दाब उपभोक्ताओं हेतु पंजीकरण शुल्क

नवीन अति उच्च दाब/उच्च दाब/निम्न दाब उपमोक्ता तथा वह अति उच्च दाब/उच्च दाब/निम्न दाब उपमोक्ताओं जो अपने प्रदाय बिन्दु को परिवर्तित किया जाना तथा/अथवा संविदा मांग/संयोजित भार में घृद्धि किया जाना प्रस्तावित करता है, से निम्न दर्शायेनुसार पंजीकरण शुल्क आवेदन पन्न के साथ वसूली योग्य होगा। पंजीकरण शुल्क को अति उच्च दाब/निम्न दाब विद्युत प्रदाय प्राप्त किये जाने पर, उच्च दाब/उच्च दाब/निम्न दाब उपमोक्ताअों के प्रकरण में संयोजित भार स्वीकृति के निर्धारित समय के भीतर तथा उच्च दाब अपित उच्च दाब उपमोक्ताओं के प्रकरण में संविदा मांग यथास्थिति, प्राप्त न करता हो या फिर विद्युत कम्पनी द्वारा निम्न दाब उपमोक्ताओं को संयोजित भार की स्वीकृति पश्चात तथा उच्च दाब/अति उच्च्न दाब उपमोक्ता के प्रकरण में संविदा मांग की स्वीकृति पश्चात तथा उच्च दाब/अति उच्च्न दाब उपमोक्ता के प्रकरण में संविदा मांग की स्वीकृति पश्चात तथा उच्च दाब/अति उच्च्न दाब उपमोक्ता के प्रकरण में संविदा मांग की स्वीकृति पश्चात् तथा उच्च दाब/अति उच्च्न दाब उपमोक्ता के प्रकरण में संविदा मांग की स्वीकृति पश्चात् अनुरोध को निरस्त करता हो।

. सरल	उपभोक्ता श्रेणी	(रूपये	प्रति आवेदन)
क्रमांक			
1	निम्न दाब उपभोक्ता (अ) गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के उपभोक्ता जिनके		
	प्रायकलित भार 500 वॉट तक के हैं। (i) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी	निरंक	
	(ii) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत (आरजीजीव्हीवाय)	निरंक	
	(iii) उपरोक्त (i) एवं (ii) में सम्मिलित के अतिरिक्त	50	-
	(ब) अन्य एकल फेज निम्न दाब घरेलू / गैर घरेलू उपभोक्ता	420	
	(ग) शेष निम्न दाब उपभोक्ता	2500	
2	अति उच्च दाब/उच्च दाब उपभोक्ता	16,800	*

सोलह. <u>उच्च दाब उपभोक्ताओं हेतु ट्रांसफार्मर, तन्तुपथों (लाइनों) तथा अन्य उपकरण के रखरखाव/</u> अनुरक्षण हेतु प्रभार:

यदि ट्रांसफीर्मरों, तन्तुपथों (लाइनों) तथा अन्य संबद्ध उपकरणों का रखरखाव अनुरक्षण उच्च दाब उपमोक्ता के अनुरोध पर वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दिया जाता है तो उपभोक्ता से रखरखाव / अनुरक्षण हेतु प्रभारों की वसूली प्रचलित दर सूची के अनुसार लागत पर 0.5 प्रतिशत की दर से की जाएगी।

अधिसूचना दिनांक 04 सितम्बर, 2009



मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग चतुर्थ एवं पंचम तल, विट्ठन मार्केट, भोपाल – ४६२ ०१६

अन्तिम विनियम

भोपाल, दिनांक 21 अगस्त, 2009

क्रमांक —1783 / म.प्र.वि.नि. / 2009 — . विद्युत अधिनियम 2003 (क्र. 36, वर्ष 2003) की धारा 181(1) तथा धारा 181(2)(वी) तथा (उच्लू) सहपठित धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग एतद् द्वारा दिनांक 1 अक्टूबर, 2004 को अधिसूचित "मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (प्रतिभूति निक्षेप) विनियम, 2004" को पुनरीक्षित करता है ।

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (प्रतिभूति निक्षेप) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2009

संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ

- 1.1 ये विनियम "मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (प्रतिभूति निक्षेप) / (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम 2009'' (आरजी—17(I) / वर्ष 2009)'' कहलायेंगे ।
- 1.2 ये विनियम मध्यप्रदेश शासन के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से प्रभावशील होंगे।
- 1.3 ये विनियम सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य के समस्त विद्यमान/भावी उपभोक्ताओं को लागू होंगे। परिभाषाएं
- 1.4 "चूक (Default)" से अभिप्रेत है उपभोक्ता द्वारा ऊर्जा देयक का निर्धारित तिथि तक भुगतान करने में अवहेलना करना ।
- 1.5 जब तक संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न, हो, इन विनियमों में प्रयुक्त शब्दों एवं अभिव्यक्तियों का अर्थ वही होगा जो विद्युत अधिनियम, 2003 (क्र. 36, वर्ष 2003), मध्यप्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम 2000(क्र. 4, वर्ष 2001) एवं मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 में परिभाषित हैं।

प्रतिभूति निक्षेप

- 1.6 अनुज्ञप्तिधारी समस्त उपभोक्ताओं से निम्न हेतु प्रतिभूति निक्षेप राशि का संग्रह कर सकता है:
 - (अ) भीटरों हेत्
 - (ब) तन्तुपथ (लाइनों) तथा संयत्रों हेतु
 - (स) विद्युत की खपत हेतु

प्रत्येक विलिंग माह में, देयक जारी होने की तिथि से 7 दिवस के अन्दर नगद अथवा धनादेश (चेक) के रूप में (इसकी वसूली के अध्यधीन) अथवा डिमांड ड्राफ्ट अथवा मुगतान आदेश (पे—आर्डर) अथवा बैंकर धनादेश (बैंकर्स चेक) द्वारा किया जाएगा तथा चालू देयक की अवशेष 50 प्रतिशत राशि का भुगतान उसके द्वारा निर्धारित तिथि(ओं) को उक्त राशि के समायोजन उपरान्त, बिना किसी ब्याज के किया जाएगा । इसके अतिरिक्त, यदि कोई उपभोक्ता 50 प्रतिशत प्रतिभूति निक्षेप राशि का मुगतान किसी भी माह में उपरोक्त निर्दिष्ट किये गये अनुसार देयक जारी होने की तिथि से 7 दिवस के अन्दर नहीं करता है तो उसे और आगे यह विकल्प उपलब्ध नहीं कराया जाएगा तथा उसे 15 दिवस की खपत के बराबर अतिरिक्त प्रतिभूति निक्षेप राशि का मुगतान नगद अथवा धनादेश (चेक) द्वारा (इसकी वसूली के अध्यधीन) अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा मुगतान आदेश (पे—आर्डर) अथवा बैंकर धनादेश (बैंकर्स चेक) के रूप में करना होगा ।

- (ग) ऐसे प्रकरण में, जहां कोई अति उच्च दाब / उच्च दाब उपभोक्ता नोटिस अवधि के अन्तर्गत उपरोक्त विकल्प में से किसी भी विकल्प का चयन नहीं करता है तो ऐसी दशा में, उसे विकल्प ख (i) लागू होगा ।
- (घ) उपरोक्त विकल्प ख (ii) तथा (iii) चूक शर्त के अन्तर्गत आने वाले उपभोक्ताओं को लागू न होंगे । ऐसे उपभोक्ताओं को प्रतिभूति निक्षेप केवल नगद में जमा करना होगा ।
- (इ) प्रतिमूति निक्षेप राशि की गणना स्थाई प्रभारों, ऊर्जा प्रभारों, टैरिफ न्यूनतम अन्तर, विद्युत शुल्क, ऊर्जा विकास उपकर, मीटर भाड़ा आदि को ध्यान में रखकर की जाएगी, परन्तु गणना में विलंबित भुगतान अधिभार, भार कारक (लोड फेक्टर)/ऊर्जा कारक (पावर फेक्टर) प्रोत्साहनों आदि को सम्मिलित नहीं किया जाएगा ।

नवीन विद्युत प्रदाय हेतु संयंत्र / तन्तुपथ (लाइन) के विरूद्ध प्रतिभूति निक्षेप

1.8 अनुज्ञप्तिघारी उपमोक्ता से तन्तुपथ (लाइन) तथा संयंत्र के विरूद्ध जहां ऐसे उपमोक्ता को विद्युत प्रदाय हेतु कोई विद्युत तन्तुपथ (लाइन) या विद्युत संयंत्र संस्थापित कराया जाना हो, को ऐसे तन्तुपथ (लाइन) या संयंत्र की व्यवस्था के संबंध में प्रतिभूति निक्षेप वसूल कर सकंगा।

मीटर प्रतिभूति निक्षेप (एमएसडी)

1.9 अनुज्ञिप्तिधारी मीटर हेतु प्रतिभूति निक्षेप की राशि संग्रह कर सकेगा । नवीन विद्युत संयोजनों के लिए मीटर की प्रतिभूति निक्षेप राशि, विद्युत प्रदाय स्वीकृति के उपरांत तथा मीटर/मीटिरंग संयंत्रों की स्थापना से पूर्व, अनुज्ञिप्तिधारी द्वारा आयोग से अनुमोदन प्राप्त कर, समय—समय पर, निर्धारित दरों की तालिका के अनुरूप देय होगी। यदि नवीन संयोजन का कोई आवेदक ऐसी प्रतिभूति निक्षेप राशि जमा करने में चूक करता है तो वितरण

अनुज्ञप्तिधारी यदि उचित समझे तो, ऐसी चूक की गई अवधि तक, विद्युत प्रदाय करने से इनकार कर सकेगा।

- 1.10 अनुज्ञिप्तिधारी, ऐसे विद्यमान विद्युत संयोजनों के संबंध में, जहां मीटर प्रतिभूति निक्षेप (एमएसडी) की राशि संग्रह न की गई हो, विनियम 1.8 में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार, जब भी मीटर प्रतिस्थापित किया जाए, मीटर प्रतिभूति निक्षेप (एमएसडी) की राशि का संग्रह कर राकेगा।
- 1.11 जहां भीटर हेतु प्रतिभूति निक्षेप (एमएसडी) की राशि पूर्व में संग्रह की जा चुकी हो तो अनुवर्ती भीटर की लागत के अंतर की राशि तत्पश्चात उच्च मीटर प्रौद्योगिकी, मीटर के दोपपूर्ण होने, भीटर के कार्य न करने, आदि कारणों से संग्रह नहीं की जाएगी ।
- 1.12 जब उपभोक्ता स्वयं के व्यय पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप मीटर स्थापित करता है तो मीटर की प्रतिभूति निक्षेप (एमएसडी) राशि संग्रह नहीं की जाएगी।

प्रारंभिक ऊर्जा प्रतिभूति निक्षेप

1.13 अनुज्ञप्तिधारी नवीन सेवा संयोजन हेतु उपभोक्ता से विनिर्दिष्ट दिवस संख्या के लिए प्राक्किलत खपत के समान खपत हेतु निम्न तालिका के अनुसार प्रतिभूति राशि स्वीकार कर सकेगा:

क्र.	उपभोक्ता का प्रकार	दिवस संख्या
1	कृपि	
	(i) रथायी	90
-	(ii) अस्थायी	अस्थाई संयोजन की पूर्ण अवधि हेतु,
		न्यूनतम 60 दिवस की अवधि के
1		अध्यधीन, यदि संयोजन माह जुलाई से
	1	फरवरी के मध्य उपयोग किया जाना हो
ı		तथा न्यूनतम 30 दिवस की अवधि के
		अध्यधीन, यदि संयोजन माह मार्च से
	1.00	जून के मध्य, थ्रेशिंग कार्य हेतु उपयोग
		किया जाना हो। उपभोक्ता, तथापि,
		संयोजन का उपयोग यहां दर्शायी गई
		अवधि से कम दिवसों हेतु प्रतिभूति
		निक्षेप की वसूली बाबत्, प्रतिभूति निक्षेप
		की राशि पूर्ण अवधि हेतु जमा किये
		जाने के अध्यधीन कर सकेगा। प्रतिभूति
		निक्षेप की अधिक राशि संयोजन अवधि
		के पूर्ण होने तथा संयोजन के विच्छेद
		उपरांत वापसी योग्य होगी।

2	मौसमी (सीजनल)	-
	गरामा (साजनल)	वार्षिक खपत का 25 प्रतिशत
3 .	स्टोनक्रशर, हॉट–मिक्स संयंत्र	90
4		
	विधिक आधिपत्य का प्रमाण प्रस्तुत न	90
	कर सकने वाले उपभोक्ता	
5	अन्य उपभोक्ता	45
		,

- 1.14 यदि नवीन संयोजन का आवेदक ऐसी प्रतिभूति निक्षेप की राशि जमा करने में चूक करता हो तो वितरण अनुज्ञप्तिधारी, यदि उचित समझे तो, ऐसी चूक की अवधि तक विद्युत प्रदाय प्रारंभ करने से इनकार कर सकेगा।
- 1.15 वितरण अनुज्ञप्तिधारी, निम्नदाब उपभोक्ताओं हेतु पूर्व—भुगतान मीटर के उपयोग द्वारा एक पूर्व—भुगतान योजना भी लागू करेगा । ऐसे प्रकरणों में उपभोक्ता को ऊर्जा प्रतिभूति निक्षेप राशि का भुगतान किये जाने की आवश्यकता नहीं होगी।
- 1.16 (अ) शहरी क्षेत्रों में विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए प्रारंभिक प्रतिभूति निक्षेप की गणना, संयोजित भार/संविदा मांग किलोवॉट, अश्वशिक्त (हार्स पावर) या केवीए में, जैसा कि प्रकरण हो तथा जिसके लिए अनुबंध निष्पादित किया गया हो, निम्न प्रकार से की जाएगी:

	(1 47) (11)	
क्र.	श्रेणी	प्रतिभूति निक्षेप राशि की गणना हेतु आकलित खपत
	3	यूनिट प्रतिमाह (30 दिवस) हेतु.
1	घरेलू	(1) 150 यूनिट प्रति किलोवॉट
1		(2) गरीबी रेखा से नीचे जीवन—यापन करने वाले
		उपभोक्ता (Life Line consumers) हेतु 35 यूनिट प्रति
- " -	identity in the	250 वाट या उसका अंश
2	गैर-घरेलू	150 यूनिट प्रति किलोवॉट या उसका कोई अंश
3	जल प्रदाय संयंत्र	150 यूनिट प्रति किलोवॉट या 110 यूनिट प्रति
		अश्वशक्ति या उसका कोई अंश
4	औद्योगिक	70 यूनिट प्रति किलोवॉट या 50 यूनिट प्रति
i Y		अश्वशक्ति या उसका कोई अंश
5	कृषि	120 यूनिट प्रति अश्वशक्ति या उसका कोई अंश
7	थ्रेशर संयोजन	360 यूनिट प्रति अश्वशक्ति या उसका कोई अंश .
8	पथ-प्रकाश (स्ट्रीट	270 यूनिट प्रति किलोवॉट या उसका कोई अंश
7	लाइट)	
9	उच्चदाब उपभोक्ता	190 युनिट प्रति केवीए या उसका कोई अंश

उपभोक्ता द्वारा आवेदित संयोजित भार/संविदा मांग हेतु उपरोक्त दर्शाई गई तालिका के अनुसार गणना की गई यूनिट संख्या का, प्रचलित विद्युत दर (टैरिफ) के अनुसार समस्त विलिंग शिर्षकों हेतु प्रारंभिक प्रतिभूति निक्षेप राशि की प्राप्ति हेतु किया जाएगा। ऐसी गणना की गई प्रतिभूति निक्षेप अगले 100 (सौ) रूपये तक पूर्णांक की जाएगी।

(ब) अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों हेतु, प्रारंभिक प्रतिभूति निक्षेप की गणना शहरी क्षेत्रों की विभिन्न उपभोक्ता श्रेणियों की 50 प्रतिशत दर पर की जाएगी ।

ऊर्जा प्रदाय हेतु अतिरिक्त प्रतिभूति निक्षेप

- 1.17 अनुज्ञाप्तिधारी द्वारा उपभोक्ताओं से प्राप्त ऊर्जा प्रतिभूति निक्षेप (ईएसडी) की वार्षिक समीक्षा पिछले 12 माह की खपत के आधार पर प्रतिवर्ष माह अप्रैल में की जाएगी । अनुज्ञप्तिधारी उक्त समीक्षा के आधार पर उपभोक्ता से अतिरिक्त प्रतिभूति निक्षेप की वसूली हेतु, तीन समान किस्तों में देय, मांग में वृद्धि कर सकेगा, यदि प्रचलित विद्युत दरों (टैरिफ) आदि के आधार पर चाही गई प्रतिभूति निक्षेप की राशि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा धारित प्रतिभूति निधि की राशि से 100 / रूपये या इससे अधिक हो ।
 - इसी प्रकार, जमा की गई प्रतिभूति निक्षेप राशि आवश्यक राशि से अधिक पाये जाने की दशा में, वांछित राशि का आकलन (क्रेडिट) अनुवर्ती विद्युत देयकों में तीन समान किस्तों में किया जा सकेगा । तथापि, वांछित राशि का आकलन (क्रेडिट) निर्धारित समय में न किये जाने पर, अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ताओं को 1 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करेगा ।
- 1.18 अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता को अतिरिक्त प्रतिभूति निक्षेप की राशि जमा करने हेतु कम से कम एक माह की सूचना (नोटिस) देगा। यदि उपभोक्ता सूचना के अनुसार ऐसी अतिरिक्त प्रतिभूति निक्षेप राशि को जमा करने में चूक करता है तो अनुज्ञप्तिधारी ऐसी चूक की निरंतरता की अविध हेतु विद्युत प्रवाह को इनकार करने या रोकने के लिए प्राधिकृत होगा। यदि उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप के भुगतान में विलम्ब करता है तो अनुज्ञप्तिधारी उसके विद्युत प्रवाह को रोके जाने के अधिकार के अन्तर्गत बिना किसी पक्षपात के इन विनियमों के अन्तर्गत उपभोक्ता ऐसा अधिभार देने के लिए उत्तरदायी होगा जो ऊर्जा/मांग प्रभारों (टैरिफ आदेश में यथावर्णित) के भुगतान में विलम्ब के कारण देय अधिभार के समान हो।
- 1.19 किसी वित्तीय वर्ष में, मासिक देयकों के भुगतान में दो से अधिक बार चूक किये जाने की दशा में, ऐसे उपभोक्ता हेतु जिनका प्रतिभूति निक्षेप उनकी 45 दिवस की खपत के बराबर संधारित किया जाता है, अनुज्ञप्तिधारी ऐसे उपभोक्ताओं का प्रतिभूति निक्षेप 45 दिवस के खपत स्तर से इसे 60 दिवस के खपत स्तर तक बढ़ाये जाने हेतु प्राधिकृत होगा।

उपभोक्ता द्वारा विवादित/सतर्कता देयकों का भुगतान नहीं किये जाने को चूक नहीं माना जाएगा जबिक उपभोक्ता द्वारा समुचित प्राधिकारी को ऐसे देयक का पुनरीक्षण किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया हो तथा उपभोक्ता देयकों का भुगतान विद्युत अधिनियम,